Need to ensure extension of all facilities to cobblers under Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर **(मुम्बई उत्तर-पश्चिम) :** सभापति महोदय, धन्यवाद ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सभाग्रह को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में पहले 12 बलुतेदार होते थे, उनके माध्यम से कामकाज चलता था ।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र और देश भर में काम करने वाले गटई कामगार यानी कॉब्लर्स की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vendors) Act 2014 के तहत गटई कामगारों को वेंडर्स के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है ।

सभापति महोदय, जो गटई कामगार होते हैं, उनको हॉकर्स में गिना जाता है, मगर गटई कामगारों का ऐसा धंधा है, व्यवसाय है, जिसे ये लोग सालों से बैठकर करते थे । उनमें से 12 बलुतेदार एक हैं । जो नगर निगम, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, वे उनके ऊपर अन्याय करते हैं । यानी, जो फेरी वाला होता है, उसको उठाते हैं, तो चलेगा, मगर जो बैठकर काम करने वाले हैं, जिनको शासन के माध्यम से, कानून के माध्यम से मान्यता दी गई है, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है । इसके लिए अन्य स्ट्रीट वेंडर्स को नगर निगम से लाइसेंस मिल जाते हैं, लेकिन इनको नहीं दिया जाता है ।

इसीलिए, मेरी सरकार से मांग है कि सभी गटई कामगारों को विधिवित वेंडिंग लाइसेंसेज़ जारी किए जाएं, जिससे वे कानूनन रूप से अपनी दुकान चला सकें । इसके साथ ही नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि वे गटई कामगारों को स्ट्रीट वेंडर्स की तरह सम्मान दें और उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, वह बंद करें । यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका का सवाल है । लाखों परिवारों की आजीविका इसके ऊपर निर्भर होती है ।

अत: मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसको आदेश दिया जाए कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय न होने दिया जाए ।

धन्यवाद ।